जनसंपर्क संचालनालय हेतु वाहन (टैक्सी) किराये के लिए न्युनतम दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु अल्पकालीन निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक–4487 नवा रायपुर, दिनांक– 18/11/2021

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 500/– (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 20,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.12.2021 समय 1:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.12.2021 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.12.2021 समय 3:00 बजे सायं तक

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर–अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2511964

Web :- www.cg.nic.in/dpr & www.dprcg.gov.in

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2511964

———

क्रमांक– 4487/जसंसं/सत्कार/2021 नवा रायपुर, दिनाक 18/11/2021

वाहन (टैक्सी) किराये के लिए न्युनतम दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसढ़ रायपुर के उपयोग हेतु मासिक किराये एवं समय–समय पर वाहनों की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा टैक्सी कोटे के वाहन उपलब्ध संस्थाओं से इम्पैनलमेन्ट हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के फर्मों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र जनसंपर्क संचालनालय में राशि रू.. 500/– (वापसी योग्य नहीं) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है या जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाईट www.dprcg.gov.in & www.cg.nic.in/dpr से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।

(1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि– 04/12/2021 समय दोपहर 1:00 बजे तक।
(2) पूर्णतः भरे निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि– 04/12/2021 दोपहर 2:00 बजे तक।
(3) प्रपत्र खोले जाने की तिथि– 04/21/2021 दोपहर 3:00 बजे से।

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
नवा रायपुर

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2511964

वाहन (टैक्सी) किराये से लिए जाने हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें

1. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. चालन सम्मिलित हैं। जिसके पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
2. प्रतिमाह किराये दर में वाहन 3000 कि.मी. चालन सम्मिलित है। जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मेंटनेन्स वाहन चालक का वेतन वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. किराया दर या प्रतिमाह दर में 3000 कि.मी. चलने के उपरांत अतिरिक्त कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जायेगा। जिसमें पेट्रोल/डीजल, मरम्मत एवं वाहन से संबंधित सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
4. वाहन मुख्यालय पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
5. जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर की लेखा शाखा में जमा की गई निविदा फार्म की कीमत रू. 500/– (रूपए पांच सौ), (वापसी योग्य नहीं) की राशि की शासकीय रसीद की जानकारी।
6. निविदाकर्ता संस्था को अमानत राशि रूपए 20,000/– (रूपए बीस हजार मात्र) (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर के नाम से तैयार कर जमा करना होगा, जिसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी।
7. पैन कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 अर्थात् Assessment Year 2020-21 के आयकर रिटर्न की एकनालेजमेंट की प्रति जमा करना होगा।
8. वाहन के समस्त कागजात टैक्सी कोटे एवं परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य है। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा। वाहन का रोड टैक्स एवं बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए। वाहनों का परमिट होना अनिवार्य है।
9. वाहन चालक का वेतन एवं अन्य व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था नहीं की जावेगी तो इसकी भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जायेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा। वर्दी वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वाहन के मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्ययपूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

11. किराये पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने एवं शिकायत मिलने पर वाहन तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जायेगा
12. किराये के वाहन (टेक्सी) की उपरोक्त निविदा दर निर्धारण एवं न्यूनतम निविदा दरों में योग्य पाये फर्मों को सहमति के आधार पर इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
13. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
14. आबंटित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार अथवा जनसंपर्क संचालनालय परिसर में रहेगा।
15. वाहन किराया दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे, परन्तु देयक में टैक्स का बायफरकेशन कर उल्लेख करना होगा।
16. देयक तीन प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/जीएसटी आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लाग बुक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17. सभी गाड़ियों में टोल नाका हेतु फास्ट ट्रेक लगा होना अनिवार्य है, जिसका भुगतान अनुबंधित फर्म द्वारा किया जाएगा।
18. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार जनसंपर्क संचालनालय को होगा। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना कर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
19. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
20. निविदाकर्ता के पास स्वयं के नाम का कम से कम एक टैक्सी वाहन होना अनिवार्य है। अन्य किसी के वाहन को फर्म में सम्बद्ध (अटैच) करने पर निविदाकार संस्था को वाहन मालिक से रू. 50/— के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर जमा करना होगा।
21. वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है एवं वाहन 2018 मॉडल से पूर्व की नहीं होना चाहिए तथा वाहन के संबंध में शिकायत एवं अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जाएगा।
22. निविदा दो पृथक—पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा टेक्निकल बिड का होगा, जिसमें वाहन के दस्तावेज, जिसमें वाहन का मॉडल एवं टैक्स, बीमा आदि के भुगतान संबंधी दस्तावेज तथा वाहन एवं वाहन चालकों की सूची रहेगी तथा अमानत राशि के रूप में ''संचालक जनसंपर्क संचालनालय'' के नाम से देय रू. 20,000/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/— की पावती या डिमाण्ड ड्राफ्ट रहेगा। दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में दरें होंगी। दोनों लिफाफों में सामने टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड लिखा रहेगा।
23. निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में दिनांक 04/12/2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर— अटल नगर, जिला—रायपुर छ.ग. में जमा की जा

सकती है। निविदा उसी दिनांक 04/12/2021 को दोपहर 3:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

24. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

25. रूपए 50/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । (प्रारूप संलग्न)

26. वाहन किराये के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा आयुक्त सह संचालक, जनसंपर्क संचालनालय द्वारा किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

27. वाहन किराये हेतु निविदा दर निर्धारण एवं न्यूनतम निविदा दरों में योग्य फर्मों को सहमति के आधार पर इम्पैनलमेंट किया जाएगा। निविदा में प्राप्त अधिकतम गाडियों में न्यूनतम दर वाले फर्म को कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। निविदा न्यूनतम दरों पर इम्पैनल्ड संस्था को राज्य या राज्य के बाहर कहीं भी कार्य संपादन करना होगा।

28. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अन्य इम्पैनल्ड एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जायेगा।

29. यह निविदा मात्र टैक्सी वाहन किराया दर निर्धारण एवं वाहन उपलब्ध कराने हेतु एजेंसियों के इम्पैनलमेन्ट हेतु मांगी जा रही है। निविदा दरें निविदा स्वीकृति का आदेश जारी करने की तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने पर इस निविदा के नियम–शर्त एवं अनुमोदित न्युनतम दर पर नवीन निविदा अनुमोदन होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनंसपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।

30. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

31. निविदा से संबंधित किसी भी विवाद के लिए न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

हस्ताक्षर

नाम/फर्म का नाम

पूर्ण पता ....

...

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2511964

वित्तीय प्रस्ताव
वाहन (टैक्सी) किराया हेतु दर निर्धारण हेतु निविदा दरें

क्र.	वाहन का विवरण (वातानुकुलित)	प्रतिदिन का किराया (100 कि.मी. सहित) रूपये	प्रतिमाह का किराया (3000 कि.मी. सहित) रूपये	अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर रूपये
1.	टाटा सूमो / बोलेरो			
2.	इंडिगो / जेस्ट			
3.	तवेरा / स्कार्पियो			
4.	टोयोटा इनोवा / टोयोटा क्रेस्टा / किया करनीवाल			
5.	स्वीफ्ट डिजायर / मारूति सियाज			
6.	मारूती अर्टिगा / एस क्रोस			
7.	ईटियोस (टोयटा) / फोर्ड एस्पायर / होन्डा अमेज			
8.	एमजी हैक्टर / एक्सयूवी 500 / टाटा सफारी / टाटा हैरियर			

टीप :– उपरोक्त दरों में जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

हस्ताक्षर

नाम / फर्म का नाम

पूर्ण पता.........................

....

....

सील / मुद्रा

मोबाईल नंबर

(रूपये 50/– के स्टॉम पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र निविदा के टेक्नीकल बिड में जमा करना होगा)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... फर्म का नाम .... जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर द्वारा वाहन किराया (टैक्सी) से संबंधित जारी निविदा की नियमावली और शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है। मैं इन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूॅं। हमारे फर्म द्वारा समस्त देय वैधानिक शुल्क/राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। हमारे फर्म/संस्था को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेट नहीं किया गया है। हमारे द्वारा जमा निविदा/आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क को होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम : ....

पत्र व्यवहार का पूरा नामः ....

टेलीफोन नंबर : ....

मोबाईल नंबर : ....

स्थान व दिनांकः ....